कार्यवृत्त

गुरूवार, 01 श्रावण, शक संवत्, 1931
(दिनांक 23 जुलाई, 2009 ई0)

खण्ड–26
अंक–9

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर काल में आज की कार्यसूची के नत्थी (क) के तारांकित प्रश्न संख्या–02 तथा 10 के उत्तर से सन्तुष्ट न होने पर कुछ माननीय सदस्यों के अनुरोध पर श्री अध्यक्ष द्वारा उक्त प्रश्नों को स्थगित किया गया।

प्रश्नोत्तर काल में आज की कार्यसूची के नत्थी (क) के तारांकित प्रश्न संख्या–02 तथा 10 के उत्तर से सन्तुष्ट न होने पर कुछ माननीय सदस्यों के अनुरोध पर श्री अध्यक्ष द्वारा उक्त प्रश्नों को स्थगित किया गया।

संसदीय कार्य मंत्री ने दिनांक 15 जुलाई, 1996 के सोमवती अमावस्या के पर्व पर हरिद्वार में हुई दुर्घटना की जांच हेतु गठित माननीय न्यायमूर्ति श्री राधेकृष्ण अग्रवाल जांच आयोग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा।

नियम–300 के अन्तर्गत निम्नांकित विषयों पर सूचनाएं उनके नाम के सम्मुख अंकित माननीय सदस्यों द्वारा सदन के संज्ञान में लायी गयीं :–

1. हाजी तसलीम अहमद (पढ़ी हुई मानी गई)	जनपद हरिद्वार में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति ट्रेजरी से निकलवाये जाने के सम्बन्ध में।
2. कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''	उत्तराखण्ड में यूनानी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में।
3. श्री सुरेन्द्र राकेश (पढ़ी हुई मानी गई)	जनपद हरिद्वार के ब्लाक भगवानपुर में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।
4. काजी मो0 निजामुद्दीन (पढ़ी हुई मानी गई)	उत्तराखण्ड राज्य में विशिष्ट बी0टी0सी0 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 900 रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।
5. श्रीमती आशा नौटियाल (पढ़ी हुई मानी गई)	जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत अगस्त्यमुनि–विजयनगर में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में।
6. श्रामता अमृता रावत (पढ़ी हुई मानी गई)	जनपद पौड़ी गढ़वाल के नायब तहसीलदार थैलीसैंण में दिनांक 02 अप्रैल, 2009 को दर्ज चोरी की प्रथम सूचना संख्या 581303 पर अभी तक कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में।
7. श्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल (पढ़ी हुई मानी गई)	प्रदेश सरकार द्वारा जनहित के लिए विभिन्न समूह बीमा योजनाओं पर धन व्यय होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–310 के अन्तर्गत 03 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

पहली सूचना माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय की है, जो वन विभाग में शासनादेश की अवहेलना करते हुए चतुर्थ श्रेणी तथा वन रक्षक के पदों पर गोरखा, नेपाली, असम, मेघालय, लद्दाख, नेफा, नागा, मणिपुर, सिक्किम व भूटानी मूल के कर्मचारियों की भर्ती के सम्बन्ध में हैं।

दूसरी सूचना माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह, श्री दिनेश अग्रवाल, श्री मनोज तिवारी तथा श्री जोत सिंह गुनसोला की है, जो जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता में 21 जुलाई, 2009 को हुई बस दुर्घटना में 10 लोगों की मृत्यु, 86 लोगों के घायल होने तथा 15 लोगों की गंभीर हालत के सम्बन्ध में है। राजकीय चिकित्सालय विकासनगर में उपस्थित चिकित्सकों व स्टाफ द्वारा सराहनीय कार्य किया गया लेकिन ट्रामा सेंटर के अभाव में 10 लोगों की अकाल मृत्यु के सम्बन्ध हैं।

तीसरी सूचना माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री नारायण पाल, श्री हरिदास, मो0 शहजाद तथा श्री प्रेमानन्द महाजन की है, जो उत्तराखण्ड में अधिकारियों द्वारा स्थाई निवास प्रमाण-पत्र टेलीफोन के माध्यम से जारी किये जाने के सम्बन्ध में हैं।

श्री अध्यक्ष ने कहा कोई भी सूचना नियम-310 की परिधि में नहीं आती इस पर कांग्रेस तथा बसपा के सदस्यों द्वारा नियम-310 के अन्तर्गत चर्चा कराये जाने की मांग को लेकर चौ0 यशवीर सिंह को छोड़कर बसपा तथा कांग्रेस के कुछ सदस्य 'वेल' में आकर अपनी-अपनी मांग को लेकर जोर-जोर से कहने लगे। जिससे घोर व्यवधान होने लगा। श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे सूचना नियम-310 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में अधिकारियों द्वारा स्थाई निवास प्रमाण-पत्र जारी किये जाने से सम्बन्धित है। इस विषय पर नियम-54 के अन्तर्गत चर्चा पूर्व से स्वीकृत है तथापि इससे अतिरिक्त विषय के सम्बन्ध में सरकार इसका परीक्षण करा ले तथा विधान सभा क्षेत्र चकराता में हुई बस दुर्घटना की सूचना को वे ग्राह्यता पर सुन लेंगे। इस पर 'वेल' में खड़े सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर चले गये।

चकराता विधान सभा क्षेत्र में 21 जुलाई, 2009 को घटित बस दुर्घटना विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में श्री प्रीतम सिंह, श्री मनोज तिवारी तथा श्री जोत सिंह गुनसोला ने अपने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-58 के अन्तर्गत 15 सूचनाएं प्राप्त हुई।

प्रदेश के 08 जनपदों में जिला साहसिक खेल अधिकारियों की नियुक्ति वर्ष, 2004 में 5 वर्ष की अवधि के लिए संविदा के आधार पर की गयी थी, को स्थायी नियुक्ति किये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में श्री प्रीतम सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए। पर्यटन मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश के एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय में नीतिगत निर्णयों का अभाव तथा अधिकारियों व कर्मचारियों की कमी होने विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में श्री दिनेश अग्रवाल तथा श्री जोत सिंह गुनसोला ने विचार व्यक्त किए। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद उत्तरकाशी में दिनांक 20 जुलाई, 2009 को बड़कोट तहसील में कोटी, बखरेटी थानी, भानकी एवं जनपद टिहरी की तहसील घनसाली में घनसाली बौंर, देवंजघुत, ज्यूदाणा, हिन्दाव, गोनगढ़, बूढ़ाकेदार, नैवचामी तथा केमर आदि कई गांवों में बादल फटने विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में श्री केदार सिंह रावत तथा श्री बलवीर सिंह नेगी ने अपने विचार व्यक्त किए। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद हरिद्वार ब्लाक लक्सर के लगभग 37 रा0प्रा0 विद्यालयों में मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने वाले सहायक उर्दू अध्यापक न होने विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में हाजी तस्लीम अहमद ने अपने विचार व्यक्त किए। शिक्षा राज्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

उत्तराखण्ड में निवास कर रहे बंगला भाषी जिनकी उपजाति नमःशुद्र, पौण्ड व मांझी को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने के लिए 27 फरवरी, 2009 को सम्पन्न उपवेशन में पारित सरकारी संकल्प के साथ एन्थ्रोपालाजिकल सर्वे रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजने विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में श्री प्रेमानन्द महाजन ने अपने विचार व्यक्त किए। समाज कल्याण मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

सदन की कार्यवाही 2 बजकर 9 मिनट पर भोजनावकाश के लिए 3 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही 3 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

नियम-58 के अन्तर्गत प्राप्त शेष सूचनाएं भी अस्वीकृत हुई।

कृषि मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-17, कृषि कर्म एवं अनुसन्धान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 1604450 हजार (एक सौ साठ करोड़ चौवालीस लाख पचास हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–17 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाये।

पशुपालन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–28, पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 624562 हजार (बासठ करोड़ पैंतालीस लाख बासठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री करन मेहरा ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–28 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाये।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :–

काजी मो0 निजामुददीन,
श्री हरभजन सिंह चीमा,
श्री दिनेश अग्रवाल,
श्री शेर सिंह,
श्री प्रीतम सिंह,
श्री प्रेमचन्द अग्रवाल,
श्री महेन्द्र सिंह माहरा,
श्री प्रेमानन्द महाजन तथा
कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''।

श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल तथा श्री करन मेहरा ने उत्तर भाषण दिये।

कृषि एवं पशुपालन मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल तथा श्री करन मेहरा द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव अस्वीकृत हुए तथा अनुदान संख्या–17 तथा अनुदान संख्या–28 के अधीन मांगी गयी धनराशियां पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 2686363 हजार (दो सौ अड़सठ करोड़ तिरसठ लाख तिरसठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–19 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाये।

श्री खड़क सिंह बोहरा ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल ने उत्तर भाषण दिया।

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव अस्वीकृत हुए तथा अनुदान संख्या–19 के अधीन मांगी गयी धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

शिक्षा राज्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 21223902 हजार (दो हजार एक सौ बाईस करोड़ उन्तालीस लाख दो हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री जोत सिंह गुनसोला ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–11 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाये।

श्री जोत सिंह गुनसोला के भाषण के मध्य श्री तिलक राज बेहड़ ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने उनको धमकी दी थी तथा जिसके सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वस्त भी किया कि तीन दिन के अन्दर उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वह व्यक्ति आज देहरादून स्थित एक होटल में प्रेस कान्सफ्रेन्स कर रहा है। इस पर सभी विपक्ष के सदस्य 'वेल' में आकर अपनी-अपनी बात को जोर-जोर से कहने लगे। जिससे घोर व्यवधान होने लगा। श्री अध्यक्ष द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने पर भी 'वेल' में खड़े सदस्य अपने-अपने स्थान पर नहीं गये।

सदन में घोर व्यवधान होते रहने पर श्री जोत सिंह गुनसोला के भाषण के मध्य प्रस्तुत अनुदान पर **चर्चा आगे के लिए स्थगित की।**

घोर व्यवधान के ही मध्य राज्य में प्रवाहित होने वाली नदियों के निरन्तर जलस्राव की कमी को रोकने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे उपायों के संबंध में दिनांक 15 जुलाई, 2009 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-01 के सम्बन्ध में श्री किशोर उपाध्याय, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 21 जुलाई, 2009 को स्थगित चर्चा को **आगे के लिए स्थगित किया गया।**

घोर व्यवधान के ही मध्य प्रदेश में हो रही विद्युत कटौती के संबंध में दिनांक 20 जुलाई, 2009 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-10 के सम्बन्ध में श्री प्रीतम सिंह तथा श्रीमती अमृता रावत, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत **चर्चा आगे के लिए स्थगित की गई।**

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-53 के अन्तर्गत 06 सूचनाएं प्राप्त हुई है।

राज्य में समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही वृद्धावस्था, विकलांग तथा विधवा पेन्शन का भुगतान सहकारी समितियों के माध्यम से कराये जाने पर पेन्शनरों को हो रही परेशानियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गोपाल सिंह रावत की सूचना को नियम-53 के अन्तर्गत स्वीकार किया गया।

जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत महाविद्यालय अगस्त्यमुनि में बी0ए0, बी0एस0सी0 में अंग्रेजी विषयों के अध्यापक न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती आशा नौटियाल की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

नियम-53 के अन्तर्गत प्राप्त शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य जनपद हरिद्वार के ग्राम-सुल्तानपुर, तहसील-लक्सर के किसानों के सरकारी नलकूप एल0जी0-1 द्वारा फसलों की सही ढंग से सिंचाई न होने के सम्बन्ध में हाजी तसलीम अहमद, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 2009 को नियम-53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री ने वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

घोर व्यवधान के ही मध्य उत्तराखण्ड के राजकीय विद्यालयों में लाइब्रेरियन के पदों पर बी0एड0 की भांति रिक्त पदों पर बी0लिब0 डिग्रीधारी छात्र/छात्राओं को अभी तक नियुक्ति न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री किशोर उपाध्याय तथा श्री पुष्पेश त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 2009 को नियम-53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर शिक्षा राज्य मंत्री ने केवल वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

सदन की कार्यवाही 8 बजकर 19 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

महेश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
हरबंस कपूर,
अध्यक्ष,
विधान सभा।